भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.4967
मंगलवार, 1 अप्रैल, 2025/11 चैत्र, 1947 (शक)को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों को बंद करना

†4967. श्री चरनजीत सिंह चन्नीः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में पंजाब तथा देशभर में कितनी सहकारी समितियां बंद हुई हैं तथा उनके बंद होने के क्या कारण हैं:
(ख) क्या सरकार ने इन सहकारी समितियों के समक्ष आने वाली वित्तीय और परिचालन चुनौतियों की कोई समीक्षा या मूल्यांकन किया है;
(ग) सरकार द्वारा बंद पड़ी सहकारी समितियों का पुनरुद्धार करने तथा और अधिक सहकारी समितियों को बंद होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए कोई वित्तीय सहायता, पुनर्गठन योजना या नीतिगत सुधार शुरू किए गए हैं; और
(ङ) देशभर में सहकारी समितियों में बेहतर प्रशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) के अनुसार,दिनांक 01.03.2022 से 01.03.2025 तक पिछले तीन वर्षों में पंजाब सहित देश में गैर-कार्यशील सहकारी समितियों की राज्यवार संख्या **संलग्नक- 1** में दर्शायी गई है ।

(ख) जी हाँ, मान्यवर । तीन राष्ट्रीय सहकारी समितियों नामतः भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI), नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड (NAFSCOB), और नैशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (NAFCUB) को **संलग्नक -2** में दिए गए विवरण के अनुसार सात विभिन्न अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है ।

(ग) सहकारिता मंत्रालय ने रुग्ण बहु-राज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार और अवसंरचनात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (MSCS) (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 63ए के अधीन सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना की है । इसके अतिरिक्त, सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स), डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों को बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों में बदलने के लिए सक्रिय उपाय किए हैं । यह पहल व्यवसायिक विविधीकरण को बढ़ाने, वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने और सहकारी समितियों को अधिक व्यापक आर्थिक कार्यकलापों में शामिल होने में सक्षम बनाकर बंद होने से रोकने का उद्देश्य रखती है ।

(घ) और (ङ) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम (MSCS), 2002 को 2023 में बहुराज्य सहकारी समितियों के शासन को सशक्त करने, पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए संशोधित किया गया था । सहकारी समितियों को सशक्त करने और बेहतर शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत सुधारों के रूप में सरकार द्वारा कई अन्य पहलें की गई हैं:

i) प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से जीवंत और पारदर्शी बनाना;
ii) शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को सशक्त बनाना;
iii) आयकर अधिनियम में सहकारी समितियों को राहत;
iv) सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार;
v) तीन नई राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी समितियां;
vi) सहकारी समितियों में क्षमता निर्माण;
vii) 'व्यवसाय में सुगमता' आदि के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग आदि;

*****

संलग्नक-I

पिछले तीन वर्षों में राज्य-वार गैर-कार्यशील सहकारी समितियों की कुल संख्या
(01.03.2022 से 01.03.2025 तक)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर-कार्यशील सहकारी समितियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
2	आंध्र प्रदेश	9
3	अरुणाचल प्रदेश	4
4	असम	134
5	बिहार	65
6	छत्तीसगढ़	28
7	दिल्ली	4
8	गोवा	30
9	गुजरात	36
10	हरियाणा	84
11	हिमाचल प्रदेश	9
12	जम्मू और कश्मीर	377
13	झारखंड	81
14	कर्नाटक	26
15	केरल	30
16	लद्दाख	4
17	मध्य प्रदेश	1189
18	महाराष्ट्र	226
19	मणिपुर	33
20	मिजोरम	2
21	नागालैंड	67
22	ओडिशा	111
23	पंजाब	51
24	राजस्थान	167
25	सिक्किम	7
26	तमिलनाडु	83
27	तेलंगाना	190
28	त्रिपुरा	17
29	उत्तर प्रदेश	702
30	उत्तराखंड	23
31	पश्चिम बंगाल	40
	कुल	**3830**

स्रोतः एनसीडी पोर्टल दिनांक 01.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार

संलग्नक-II

NCUI, NAFSCOB और NAFCUB द्वारा किए गए अध्ययनों का विवरण

क्र. सं.	अध्ययन का विषय	द्वारा संचालित
1.	सहकारी क्षेत्र के लाभ के लिए केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार और अन्य सरकारी एजेंसियों/निकायों द्वारा प्रदान की जा रही मौजूदा और भावी योजनाओं का सार-संग्रह तैयार करना ।	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ
2.	अन्य व्यावसायिक संस्थाओं की तुलना में सहकारी क्षेत्र के लाभ और हानियों को समझना ।	
3.	विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारी कानूनों/नियमों का संकलन ताकि उनके बीच मतभेदों/समानताओं की पहचान की जा सके और ऐसे कानूनों/नियमों में बाधाओं को दूर करने के तरीकों और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में एकरूपता प्राप्त करने के तरीकों का सुझाव दिया जा सके।	
4.	सभी बहु-राज्य सहकारी समितियों की प्रोफाइल मैपिंग, डेटा की पहचान तैयार करना और वार्षिक आधार पर MSCs पर रिपोर्ट तैयार करना ।	
5.	सहकारी क्षेत्र में ऋण की आवश्यकता, बाधाएँ और आगे के रास्ते ।	नैशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड
6.	निष्क्रिय पैक्स पर अध्ययन और उनके पुनरुद्धार के उपाय	
7.	बहु-राज्य ऋण सहकारी समितियों के लिए विवेकपूर्ण वित्तीय मापदंडों/मानदंडों की आवश्यकता और पहचान पर अध्ययन	नैशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज